पत्रांक–ज०शि०को०(मु०स०)– 90/2006 –1825 ....

बिहार सरकार,

जन शिकायत कोषांग,

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

आर0जे0एम0 पिल्लै,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिलाधिकारी, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार
अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, पटना।

पटना–15, दिनांक–27 जून,2008

विषयः– *क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जनता दरबार का नियमित रूप से आयोजन नहीं किये जाने के संबंध में।*

महाशय,

हम सभी भली–भाँति अवगत हैं कि वर्त्तमान राज्य सरकार स्वच्छ, पारदर्शी एवं लोकोन्मुखी प्रशासन प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। और इसी उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्री स्तर से लेकर प्रखंड, अंचल, थाना स्तर तक जनता दरबार आयोजित कर इसकी सुनवाई और निष्पादन की व्यवस्था की गयी है। दिनांक–23.06.08 को *'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम'* में आये कुछ जन प्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि कतिपय क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से नहीं किये जाने के कारण आम जनता को छोटी–छाटी समस्याओं के निवारण हेतु वरीय पदाधिकारियों के पास जाना पड़ता है।

आग्रह है कि प्रत्येक स्तर पर जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से निर्धारित दिन को किया जाय ताकि जन साधारण की समस्याओं का त्वरित निष्पादन के साथ स्वच्छ, पारदर्शी एवं भयमुक्त प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके तथा प्रत्येक माह आयोजित किये जाने वाले जनता दरबार का प्रतिवेदन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समेकित रूप से प्रतिमाह संलग्न विहित प्रपत्र में मुख्यमंत्री सचिवालय एवं जन शिकायत कोषांग को उपलब्ध करायें। साथ ही विगत छः माह में अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों द्वारा आयोजित जनता दरबार से संबंधित पूर्ण विवरण सहित प्रतिवेदन प्रधान सचिव, जन शिकायत को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय। प्रत्येक माह के 05वीं तारीख तक मुख्यमंत्री सचिवालय एवं जन शिकायत कोषांग से भेजे गये मामलों का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
आर0जे0एम0 पिल्लै,
मुख्य सचिव, बिहार